दिनांक-02.07.2026

अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। हस्तगत निगरानी निगराकार मैसर्स अंकुर सीमेंट कम्पनी प्रोपराईटर अश्विनी कुमार गौड की ओर से प्रस्तुत की गयी थी, जिसके संबंध में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी एवं निगरानी व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में निगराकार/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 01.12.2018 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान लिया गया है, जिसके उपरांत निगराकार/अभियुक्त ने दिनांक 15.09.2020 को न्यायालय में जरिए ई-मेल जमानत आवेदन पेश करने पर जमानत के आदेश पारित किए गए, तत्पश्चात दिनांक 25.02.2022 को निगराकार/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया था, उसके उपरांत दिनांक 05.05.2022 को परिवादी का मुख्य परीक्षण लेखबद्ध कर निगराकार/अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया, लेकिन दिनांक 04.01.2023 की आदेशिका अनुसार निगराकार/अभियुक्त को जिरह हेतु कोस्ट पर अवसर दिया, जिसके उपरांत 08.02.2023, 13.03.2023, 19.04.2023 व 26.05.2023 को जिरह न करने पर जिरह का अवसर समाप्त कर पत्रावली बयान मुलजिम में नियत की गयी, दिनांक 11.07.2023 से लगभग 5-6 पेशियों तक पत्रावली बयान मुलजिम में नियत रही, तत्पश्चात दिनांक 24.11.2023 को निगराकार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जिरह खोले जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2024 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए निगराकार/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.11.2023 अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी पेश की गयी है, यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.11.2023 में निगराकार/अभियुक्त को जिरह हेतु दिए गए अवसरों का उल्लेख किया है, लेकिन किसी भी प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण करने के लिए उभय पक्षकारान को सुनवाई/साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है, लिहाजा निगराकार/अभियुक्त मैसर्स अंकुर सीमेंट कम्पनी प्रोपराईटर अश्वनी कुमार गौड की ओर से प्रस्तुत निगरानी उक्त तथ्य के आधार पर स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 अपास्त किया जाकर निगराकार/अभियुक्त को परिवादी से जिरह हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाता है एवं निगराकार/ अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत नियत तारीख पेशी पर परिवादी से आवश्यक रूप से जिरह करे, जिरह न करने की स्थिति में जिरह का अवसर बंद समझा जावे, साथ ही परिवादी को भी निर्देश दिया जाता है कि वह आगामी पेशी पर न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

NAND KISHORE BANSAL
Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.07.02 17:06:31 +0000
Authenticated Document